बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग
प्रेस–विज्ञप्ति

बालू का प्रेषण एवं परिवहन करने वालों के लिए आम सूचना।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि धर्मकाँटा से जुड़े बालूघाटों से ही चालान निर्गत किया जाना है। इस हेतु दिनांक–01.10.2018 से Pilot Basis के तौर पर सभी बालूघाट जिलों में तत्काल एक धर्मकाँटा से Online चालान निर्गत करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी, जिसके लिए बालू परिवहन में प्रयुक्त वाहनों का निबंधन अनिवार्य है।

लघु खनिजों (बालू) का प्रेषण करने वाले वाहनों का निबंधन अधिसूचित धर्मकाँटा से कराना अनिवार्य होगा, जिसके लिए कोई शुल्क देय नहीं है। निबंधित वाहनों से बालू खनिज का प्रेषण दिनांक–01.10.2018 से प्रभावी रहेगा। सभी धर्मकाँटा तथा Pilot Basis पर चालान निर्गत करने हेतु चिन्हित धर्मकाँटा की विस्तृत विवरणी विभागीय वेबसाईट www.mines.bih.nic.in पर उपलब्ध है। बालू बंदोबस्तधारियों द्वारा धर्मकाँटा में वाहनों के निबंधन के क्रम में किसी प्रकार का शुल्क लेने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ट्रैक्टर पर लादे बालू को धर्मकाँटा की अनिवार्यता से तत्काल मुक्त रखा गया है।

एतद् संबंधी किसी भी जानकारी के लिए विभागीय Help Line No.- 7982878455, 7484939149 पर संपर्क किया जा सकता है।

(सुशील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

D/MANOJ/ALOK JI/PRESS VIGYAPTI